Annexure-I

FROM-1

Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat

No.......

Date..10/7/18

TO WHOW SO EVER IT MAY CONCERN

Name Of Motor Road-Construction of Leti-Riyasi-Tarkuli M/R under PMGSY

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights Act,2006)(FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed road with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that4.98 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development deptt. &PMGSYChampawat(name of user agency)forLetiRiyasiTarkuliRoad(15.100Km) .

(Purpose for diversion of forest land)inChampawatdistrict falls within jurisdiction ofLeti, Burkum, Bamangaun and Tarkulivillage(s)inchampawat Tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.98hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabha(s), sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT – CHAMPAWAT- (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Champawat district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Iqbal Ahmad I.A.S District Magistrate ,Champawat,Uttrakhand, on dated 10-07-18 at time ....at Champawat in which application claiming rights in Leti, Burkum, Riyasi Bamangaun,Tarkuli area measuring 4.98 hect for the construction of Leti- Riyasi-Tarkuli forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Champawat

Dated: 10-7-18

District Magistrate -cum-Chairman

District Level Committee, Champawat

Scanned by CamScanner

:: प्रारुप–30.2 ::

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लेटी – रियासी – तरकुली मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्पावत
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लेटी – रियासी – तरकुली मोटर मार्ग के अन्तर्गत (3.01 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.63 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.77 हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 4.980 हे0 वनभूमि) का ग्राम्य विकास विभाग कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत स्तरीय समिति (तहसील चम्पावत) की दिनांक 20-6-18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक ....,उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. सीमा विश्वकर्मा, उप जिलाधिकारी चम्पावत, अध्यक्ष
2. MADHAV SHARMA, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत, सदस्य
3. श्री संजय पंत, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, चम्पावत, सदस्य/सचिव (सहायक समाज कल्याण अधिकारी)
4. श्री कैलाश सिंह बोहरा, बी0डी0सी0 क्षेत्र रियासी बमनगाँव, सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लेटी – रियासी – तरकुली मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 4.98 हे0 ग्राम्य विकास विभाग कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लेटी – रियासी – तरकुली मोटर मार्ग का निर्माण। परियोजना के निर्माण हेतु 4.98 हे0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0, चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील चम्पावत
जनपद ....

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील ....
जनपद ....

सहा० समाज कल्याण अधिकारी
जनपद- चम्पावत

(कैलाश सिंह बोहरा)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत रियाँसी बमनगाँव
वि०ख० / जनपद–चम्पावत

Scanned by CamScanner

Attachment 1-6

(9)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लेटी–रियासी–तरकुली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 15.100 कि0मी0

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम– रियासी बमनगॉव, तरकुली।
तहसील– चम्पावत, जिला– चम्पावत।
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लेटी–रियासी–तरकुली मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 15.100 कि0मी0

(आरक्षित वन भूमि 3.08 हे0 सिविल सोयम भूमि 0.63 हे0, वन पंचायत भूमि 0.77 हे0) अर्थात कुल 4.48 हे0 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.50 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग, कार्यदायी संस्था, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रियासी बमनगॉव, तरकुली द्वारा दिनांक 27–01–2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानो के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारो का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रियासी बमनगॉव, तरकुली के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि सिंचाई विभाग, लो0नि0वि0, चम्पावत द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान, ग्राम पंचायत रियासी बमनगॉव, वि0ख0/जनपद चम्पावत

ह0/– ग्राम पचायत विकास अधिकारी, वि0ख0 चम्पावत, चम्पावत
ग्राम सचिव

ह0/– तरकुली, चम्पावत
ग्राम प्रधान

नोटः– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। – आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

(आर0के0 विश्वकर्मा)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.... चकोड़ा
तहसील/जिला चम्पावत

Scanned by CamScanner

(10)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 27–01–2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रियासी बमनगॉव, तरकुली।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
	रमण सिंह S/o लक्ष्मण सिंह	रमण सिंह
	गीरीश सिंह S/o हेत सिंह	गीरीश सिंह
	यादव सिंह S/o दान सिंह	यादव सिंह
	नारायण सिंह S/o शेर सिंह	नारायण सिंह
	महेश राम S/o रनजीत राम	महेश राम
	प्रहलाद राम S/o डुंगर राम	प्रहलाद राम
	आन सिंह	आन सिंह
	लक्ष्मण सिंह S/o नारायण सिंह	लक्ष्मण सिंह
	भवान सिंह S/o पदम सिंह	भवान सिंह
	महेश सिंह S/o पूरन सिंह	महेश सिंह

(सी०आर० विश्वकर्मा)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र तरकुली
तहसील / जिला चम्पावत।

प्रधान
ग्राम पंचायत रियासी बमनगॉव
वि०ख० / जनपद–चम्पावत

ग्राम पंचायत तरकुली
वि०ख० / जनपद–चम्पावत

प्रपत्र–23.1

(17)

दिनांक 27–01–2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत **रियासी बमनगॉव, तरकुली।**

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
	माधासिंह	[signature]
	रा.के. सिंह	[signature]
	[illegible]	[signature]
	शीवराम	[signature]
	[illegible]	[signature]
	पानीराम	पानीराम
	राजनराम	राजनराम
	पदमासिंह	पदमासिंह
	गोपालराम	GOPAL Ram
	[illegible]	[signature]
	हेतराम	हेतराम
	कुवरराम	कुवरराम
	रतपराम	रतपराम
	[illegible]	[signature]

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत रियासी बमनगॉव
वि०ख०/जनपद– चम्पावत

[signature]
(सी०आर० विश्वकर्मा)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.......................
तहसील / जिला चम्पावत।

[signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत ...ली
वि०ख०/जनपद ...त

Scanned by CamScanner

(12)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 27–01–2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत **रियासी बमनगॉव**, तरकुली।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
1	महासिंह S/o देबासिंह	महासिंह
2,	जानी राम S/o मथीया राम	
3,	सतीशसिंह S/o शंकरसिंह	सतीशसिंह
4,	मदनसिंह S/o महासिंह	मदनसिंह
5,	राजनराम S/o दलीप राम	राजन राम
6	आरती देवी W/o कुवरसिंह	आरती देवी
7	कुशाल राम S/o मुकराम	कुशाल राम
8	पूरन राम S/o मुडराम	पूरन राम
	पानसिंह S/o जोगासिंह	पान सिंह
	पूरनसिंह S/o मोतीसिंह	पूरन सिंह
	शंकरसिंह S/o कल्यासिंह	शंकर सिंह
	जानकी देवी W/o	जानकी देवी
	भवानसिंह S/o वेदासिंह	भवान सिंह
	जोगासिंह S/o सुरसींग	जोगा सिंह
	रघुवरसिंह S/o तेवकसिंह	रघुवरसिंह
	गणेश राम S/o जोगाराम	गणेशराम

(सी०आर० विश्वकर्मा)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.... तरकोट
तहसील/जिला चम्पावत

प्रधान
ग्राम पंचायत रियासी बमनगॉव
वि०ख०/जनपद–चम्पावत

प्रधान
ग्राम पंचायत तरकुली
वि०ख०/जनपद–चम्पावत

Scanned by CamScanner

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है ,कि जनपद चम्पावत में स्थित ग्राम पंचायत रियासीबमनगाँव के अन्तर्गत राजस्व ग्राम हियाली एवं राजस्व ग्राम बरकुम ग्राम पंचायत रियासीबमनगाँव में सम्मिलित है।

3/7/018
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ...... वि०ख० चम्पावत
चम्पावत

03/07/18
खण्ड विकास अधिकारी
चम्पावत

Scanned by CamScanner

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद चम्पावत के स्थित ग्राम पंचायत तरकुली के अन्तर्गत राजस्व ग्राम आमडा ग्राम पंचायत तरकुली मे सम्मिलित है।

3/7/018
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र लोहाघाट वि०ख० लोहाघाट
चम्पावत

प्र० ह०
03/07/18
खण्ड विकास अधिकारी
चम्पावत

Scanned by CamScanner

<u>वन पंचायत अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित लेटी – रियासी – तरकुली मोटर मार्ग के निर्माण में ग्रामसभा गड़कोट की प्रभावित होने वाली वन पंचायत भूमि से प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में उक्त ग्रामसभा की वन पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रद्युमनसिंह
सरपंच
वन पंचायत तरकुली
जिला/जनपद चम्पावत

सरपंच
वन पंचायत तरकुली
चम्पावत।

<u>वन पंचायत सदस्य तरकुली</u> :–

(1) पुष्करसिंह पुष्करसिंह
(2) जीतसिंह जीतसिंह
(3) सुरमा देवी सुरमा देवी
(4) गौरी देवी गौरी देवी
(5) पूरनसिंह पूरनसिंह
(6) शंकरसिंह शंकर सिंह

Scanned by CamScanner